राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1507/2007/जयपुर

मैसर्स सुपर रोडवेज,
दिल्ली .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता–IV, जयपुर, राजस्थान .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज,अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक। ....व्यवहारी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर–I, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 1656/आरएसटी/एनआरडी/97–98 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–IV, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5)के तहत पारित आदेश दिनांक 29.03.1997 में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित शास्ति रुपये 54,065/– को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सशक्त अधिकारी दिनांक 22.03.1997 को वाहन संख्या DL-1G/3735 को चैक किया गया। परिवहनित माल के सम्बन्ध में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेज को मिथ्या व कूटरचित प्रतीत होने के कारण वाहन चालक/माल प्रभारी को नोटिस जारी किया गया एवं प्रस्तुत बिलों की जांच कम्प्यूटर के माध्यम से करवाने हेतु पत्र जारी किया। जांच के दौरान पाया कि व्यवसाइयों के पंजीयन क्रमांक उचित नहीं है, इस कारण माल का भौतिक सत्यापन किया गया। नोटिस का जवाब ट्रांसपोर्ट कम्पनी के भागीदार द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने परिवहनित माल रू0 2,10,473/–पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रू0 54,065/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर आरोपित शास्ति को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर अर्थात दिल्ली से बम्बई के लिये उचित दस्तावेजों के साथ परिवहनित किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी ने दस्तावेजों को मिथ्या व बोगस प्रमाणित किये बिना ही शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो अविधिक

लगातार.....2

है। परिवहनित माल राजस्थान राज्य में कहीं उतारा नहीं गया है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित स.वा.क.अ. बनाम मैसर्स दिल्ली इन्दौर ट्रांसपोर्ट कैरियर, 44TAX UPDATE 98,वा.क.अ. बनाम मैसर्स ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 35 TAX UPDATE 189, राजस्थान राज्य व अन्य बनाम मैसर्स सोढी ट्रांसपोर्ट कम्पनी व अन्य (2001) 10 STT 219 तथा माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित इसी पीठ के निर्णय स.वा. क.अ. उडनदस्ता–III, जयपुर बनाम महेन्द्र पुत्र श्री हरनाम सिंह निर्णय दिनांक 07.10.2016 व स.वा.क.अ. वार्ड–I, प्रतिकरापवंचन वृत–II, जयपुर बनाम मैसर्स दीपू रोड लाईन्स, दिल्ली निर्णय दिनांक 20.10.2016 आदि न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभाग कि ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का कम्प्यूटर से मिलान न होने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया है। कम्प्यूटर जांच हेतु उपायुक्त प्रशासन को लिखे पत्र दिनांक 25.03.1997 से स्पष्ट होता है कि परिवहनित माल कूटरचित दस्तावेजों के साथ परिवहनित किया जा रहा था। व्यवसायी के पंजीयन क्रमांक सही नहीं पाये गये। अपीलार्थी प्रेषक व प्रेषिति का सत्यापन भी नहीं करा पाया एवं माल राज्य के बाहर परिवहन का प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस संबंध में जॉच के निष्कर्षो से अवगत करने के पश्चात ही सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर उक्त शास्ति आरोपित की गयी है, जो पूर्णतः विधिक एवं उचित होने के कारण आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने भी यथावत रखने में किसी प्रकार की त्रुटि नही की है। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

फलतः अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.03.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष